न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 00143/2018/223

1. श्रीमती पारसी देवी पत्नी स्व0 दिलीप,
2. रामरतन पुत्र स्व0 दिलीप,
3. हिना पुत्री स्व0 दिलीप,
4. प्रदीप पुत्र स्व0 दिलीप,
5. मधु पुत्री स्व0 दिलीप,
6. कुलदीप पुत्र स्व0 दिलीप,

अपीलांट संख्या 2 लगायत 6 नाबालिग जरिये सरंक्षक माता पारसी देवी पत्नी स्व0 दिलीप, जाति जाट, निवासी ग्राम फतेहपुरा, तहसील पीसांगन जिला अजमेर ।**अपीलांटस**

बनाम

1. श्रीमती विमला पुत्री पूनाराम,
2. ऐजन पुत्री पूनाराम,
3. राजा पुत्री पूनाराम,
4. मतिया उर्फ सीता पुत्री पूनाराम,
5. रेखा पुत्री पूनाराम,
6. कमला पुत्री लादू,
7. कंचन पुत्री लादू,
8. चेनाराम पुत्र भंवरलाल,

   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम फतेहपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
9. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा पीसांगन, जिला अजमेर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 9.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 26/2018.

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी, वकील रेस्पो0 संख्या 6 व 7 .
3. रेस्पो0 संख्या 1 से 5 एवं 8 व 9 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 23.11.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 9.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि ग्राम फतेहपुर तहसील पीसांगन जिला अजमेर स्थित वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 8 नया व 3 पुराना में अंकित खसरा नंबर 265 रकबा 0.51 है0, खसरा नंबर 275 रकबा 0.45 है0, खसरा नंबर 276 रकबा 0.94 है0 भूमियां पैतृक खातेदारी की आराजियात है जिसमें वादिया एवं

प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 का संयुक्त रूप से 5/21 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 स्व0 दिलीप व दुलीचंद पुत्र पूनाराम (दुलीचंद ना औलाद फौत) का 1/105 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 का 3/35 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात पर वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजियात के विशेष भू–भाग पर पत्थर डालकर नीवं खोदकर निर्माण करने पर आमादा है । अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस न्यायिक बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने दिनांक 9.5.2018 को वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । ग्राम फतेहपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 265 रकबा 0.51 है0, खसरा नंबर 275 रकबा 0.45 है0, खसरा नंबर 276 रकबा 0.94 है0 भूमियों के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार लादूराम थे जिनके एक पुत्र पूनाराम एवं दो पुत्रियां कमला व कंचन है । पूनाराम का स्वर्गवास सन् 2004 में तथा पूनाराम के पुत्र दिलीप का स्वर्गवास वर्ष 2009 में तथा पूनाराम के एक पुत्र धूलीचंद का स्वर्गवास वर्ष 2017 में हो चुका है । अर्थात् अपीलांटस के लिए वादग्रस्त आराजियात पैतृक आराजियात होकर अपीलांटस के पूर्वज लादूराम के जीवन काल में वादग्रस्त आराजियात का काल्पनिक विभाजन करने पर वादग्रस्त आराजियात में स्व0 पूनाराम पुत्र लादूराम का 1/2 हिस्सा पूनाराम में जन्म से ही निहित हो चुका था तथा शेष 1/2 हिस्सा लादूराम के हिस्से में रहा । उक्त 1/2 हिस्से में से लादूराम के स्वर्गवास होने पर 1/6 हिस्सा स्व0 पूनाराम का तथा 1/6 कमला व 1/6 हिस्सा कंचन पुत्री लादूराम का अंकन होना चाहिये था किन्तु राजस्व एजेन्सी द्वारा मनमाफिक राजस्व रिकार्ड में जो अंकन किये गये है वे अपीलांटस के हक व हिस्से के प्रति प्रभावहीन व बेअसर है । परीक्षण न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा वादपत्र प्रस्तुत वादग्रस्त आराजियात का विधिक अनुसार बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जिसे परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 5.3.2018 को दर्ज कर सम्मन जारी कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.4.2018 नियत की किन्तु उक्त पेशी पर पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण रीडर द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 9.5.2018 न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु नियत की गई थी किन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांटस को विधिवत् सूचना दिये बिना प्रकरण को राजस्व लोक अदालत ग्राम रामपुरा डाबला में नियत कर आदेश अंतर्गत अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 का यह दायित्व था कि उनके समक्ष विचाराधीन वाद पत्र को राजस्व लोक अदालत में नियत करने से पूर्व अपीलांटस को विधिवत् सूचना तामील करवाते किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर अपने में निहित अधिकारिता का विधिवत् पालना किये बगैर आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को वादपत्र के खण्डन एवं जवाबदावे का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा न ही वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री नैसर्गिक

न्याय के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में अपीलांटस को जवाबदावा, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 6 व 7 ने बहस में अपीलांटस की बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है । अपीलांटस ने अपने कथनों में हिस्सा कम या ज्यादा होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है । यदि अपीलांटस को प्राथमिक डिक्री से कोई आपत्ति है तो वे अंतिम डिक्री से पूर्व अधी0न्याया0 के समक्ष अपना ऐतराज प्रस्तुत कर सकते है । अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 265 रकबा 0.51 है0, खसरा नंबर 275 रकबा 0.45 है0 एवं खसरा नंब 276 रकबा 0.94 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.90 है0 पैतृक कृषि भूमियां है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 1 दिलीप व दुलीचंद पुत्र पूनाराम (दुलीचंद नाऔलाद फौत) का हिस्सा 1/105 तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8 का 3/35 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । उक्त कथनों की पुष्टि में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने राजस्व जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 पेश की जिसके अनुसार विवादित आराजियात में कमला, कंचन पुत्रियां लादू 2/3 हिस्सा, दिलीप, दुलीचंद पि0 पूनाराम 1/105 हिस्सा, चेनाराम पुत्र भंवरलाल 3/35 हिस्सा, विमला, ऐजन, राजा, मतिया, रेखा पि0 पूनाराम 5/21 हिस्सा कौम जाट सा0देह खातेदार दर्ज है । अधी0न्याया0 ने जमाबंदी मे दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.5.2018 को जारी कर बाई मीट्स एण्ड बोण्डस के विधिक बंटवारा के संबंध में कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया है । अपीलांट को यदि जमाबंदी में दर्ज हिस्से बाबत् कोई ऐतराज था तो उसे सक्षम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिये थी । अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बोण्डस के विधिक विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारीज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जात है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.5.2018 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.5.2018 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,